21/1/21 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र पर विचार किया। दौरान बहस विद्वान अधि० प्रार्थी का कथन है कि बावजूद इसके प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम हि० ½ ½ दर्ज रही। खेवट खाताकी खसरा नं० के वारिसान के नाम दर्ज थी अप्रार्थी ने धोखे से अपने नाम रिलीज डीड करवा ली थी। अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि केस में धारा 63 में रिलीज डीड के आधार पर खातेदारी हक समाप्त नहीं होते थे। इस प्रार्थना पत्र अन्य कथन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि दि. 13.1.05 को रजिस्टर्ड रिलीज डीड करवाई गई थी। 15 साल बाद दावा किया प्रार्थी घर जंवाई बनकर गाँव चला गया। रिलीज डीड करके बाहर गाँव ही बाहर घर जंवाई रह रहा है। 63(2) R.T.A. में परित्याग का उल्लेख किया गया था रिलीज डीड को कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया था। कब्जा हमारा चला आ रहा था। कॉमिनी सेटलमेंट के अनुसार भी

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमश-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	रिलीज़ करवाई गई थी। प्रा० पक्ष खारिज किया जावे।
	बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। अपील के प्रा० पक्ष के कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, अप्रार्थी के जवाब, एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया।
	हस्ब जमाबंदी ग्राम भुली 2004-24 खाता नम्बर 130 ग्राम भुली की भूमि खसरा नम्बर 3425, 3426, 3427, 3438, 3429 किता 5 रकबा 2.64 है० रामा ममता पि० लालाराम मेघर के नाम दर्ज थी। जिसे रामा के बजाय विरासत में प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 से 5 के नाम दर्ज की तथा ममता के बजाय भूमि पर उसके वारिसान का नाम दर्ज किया गया। दि० 13.1.05 को प्रार्थी, अप्रार्थी 3, 4, 5, द्वारा एक रजि० रिलीज डीड अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम पर तस्दीक करवाई गई। उक्त रिलीज डीड के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 3 से 5 का हिस्सा अप्रार्थी 1 के नाम दर्ज रिकार्ड किया गया।
	हस्ब जमाबंदी सं० 2034-37 खाता नम्बर 1137 पर अप्रार्थी नं. 1 हि० 1/4 अप्रार्थी नं. 2 हि० 1/4, तथा अप्रार्थी नम्बर 6 से 9 प्रत्येक हिस्सा 1/8 के रूप में दर्ज रिकार्ड थी। हस्ब नकल नामान्तरकरण ग्राम भुली को रजि० रिलीज डीड के आधार पर दायर

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पर दायर किया गया। जिस आधार पर ग्राम पंचायत जुग्गी के आदेश दि. 31.1.05 से उक्त भूमि पर से हकत्यागनामा लिखित निष्पादन प्रार्थी की सहमति से का नाम हटा दिया गया।

इस प्रकार तथ्य रिकार्ड वर्तमान अभिलेख में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है। प्रार्थी 2005 में भूमि का हक त्याग की रजिस्टर्ड करवा चुका है। प्रार्थी का कब्जा मौका प्रकार नहीं पाया जाता है।

प्रकार वर्णित भूमि पर 2005 से प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है और वह अन्य स्थान में निवास कर रहा है। प्रार्थी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया है, कि उसका भूमि पर मौके पर कोई कब्जा कायम है। प्रार्थी के कथनाधार पर ही यदि अनुज्ञापत्र को निरस्त आदेश पारित किया जाता है, तो इससे अनुज्ञापत्र को ही असुविधा होगी। प्रार्थी को कोई असुविधा होना संभव नहीं है।

सुविधा का संतुलन अनुज्ञापत्र के पक्ष में पाया जाता है।

प्रार्थी न तो रिकार्डेड टीनेन्ट के रूप में रिकार्ड में दर्ज है, और न ही उसका मौके पर सेटल्ड पजेशन ही पाया गया। अतः प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार की क्षति संभव नहीं की जा सकती।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म जो ... है जा ...

प्रार्थी को या अप्रार्थीगण को या अन्य को वादग्रस्त भूमि पर क्या स्वत्व प्राप्त है। या कोई चाहिये ? इसका निर्णय इस्तगासा में सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मैरिट पर होता है, न कि प्रार्थना पत्र या उसके जवाब के अनुसार।

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 की तीनों शर्तों पर खरा नहीं उतरता है अतः गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मुकदमा मि० नं० 34/2019 के साथ में संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(देशल दान)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी